Demand to amend University Grants Commission (UGC) Act 1956

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, जब श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के शिक्षा मंत्री थे, तो सन् 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के गठन का मकसद यह था कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दी जाए तथा शिक्षा का संतुलित विकास हो। उपसभापति जी, ऐसा आभास होता है कि जिस मकसद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया था, वह मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है और यह आयोग अपनी सार्थकता खो रहा है, इसलिए बदलते परिवेश में इसके ऐक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता है।

उपसभापति महोदय, हमारे देश में अभी भी 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जिन्हें यूजीसी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। वर्ष 1956 में दंड का यह प्रावधान था कि अगर कोई फर्जी विश्वविद्यालय पकड़ा जाएगा, तो उसके उसके ऊपर 1,000 रुपये दंड का प्रावधान था।

उपसभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार से निरंतर आग्रह कर रहा है कि यह जो दंड का प्रावधान था, यह नहीं के बराबर है। इस एक्ट में संशोधन किया जाए और फर्जी विश्वविद्यालयों पर कम से कम 5 करोड़ रुपये का जुर्माना और 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाए और इसे गैर-ज़मानती अपराध की श्रेणी में रखा जाए, जिससे उच्च शिक्षा के काम में लगे हुए माफियाओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सके।

उपसभापति महोदय, पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में 400 राज-विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि बहुत तेज़ी के साथ शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को भी अनुमति मिल रही है। दो विदेशी विश्वविद्यालय, जिनमें एक गुजरात में और दूसरा हरियाणा में खुला है और जो गुड़गांव में विदेशी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, वह 'Southampton' के नाम से है।

उपसभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो एक्ट है, उस एक्ट में विदेशी विश्वविद्यालयों के खोलने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नियमों के विपरीत खोले जा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। महोदय, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भारत शिक्षा के अच्छे व्यापार की जगह है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। आपका बोलने का समय खत्म हो गया। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया सीट पर बैठ कर आपस में बात न करें। यहां बड़ी सार्थक बहत चल रही है, इसको शांतिपूर्ण ढंग से चलने दें।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Ramji Lal Suman: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri A. A. Rahim (Kerala) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

Now, Shri Chandrakant Handore; Demand to abolish Bodh Gaya Temple Act, 1949.